

//1//  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 20/2020

उनवान

1. हीरी देवी पत्नी राम सिंह
2. मजिस्ट्रेट पुत्र राम सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर, अजमेर।


-- वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जेन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादी :- जरियें राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955 136 भू राजस्व अधिनियम



-: निर्णय :-

दिनांक :- 31/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना में वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :-


हाल जमाबंदी		साबिक जमाबंदी			
1405	3.03	1002	54-3-0	1002 मिन	10-0-0

वर्किंग खसरा नम्बर 1002 कुल रकबा 54-3-0 में से 10-0-0 भूमि का आवंटन दिनांक 22.11.1975 को वादीगण के पिता राम सिंह पुत्र बालू सिंह को हुआ था। वर्किंग जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। आवंटन दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वर्किंग खसरा नम्बर 1002 का हाल खसरा नम्बर 1405 बना है जिसे गैर कानूनी तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः हाल खसरा नम्बर 1405 रकबा 3.03 में से 10-0-0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज० पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 1002 रकबा 54-3-0 में दिनांक 22.11.75 से आवंटन राम सिंह पुत्र बालू सिंह 10-0-0 का नोट लाल स्याही से लगा हुआ है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1405 रकबा 3.03 सिवायचक है। राज०



--2

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वादी को बेदखल करना उचित होगा। वंकिंग जमाबंदी में बिना नामान्तकरण के सीधे ही नोट दर्ज किया गया है अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी है ?  
— वादी
2. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?  
— वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गयी। राज० पैरोकार ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज० पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

#### तनकी संख्या 1 :-


वादी का कथन है कि वाद पत्र की में अंकित आराजी उनके पूर्वज राम सिंह पुत्र बालू सिंह को आवंटित हुयी थी। किन्तु आवंटन के समर्थन में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी का आवंटन कौन से आदेश से व कब किया गया यह वादीगण ने वाद में स्पष्ट नहीं किया है वाद के साथ कोई ठोस दस्तावेज भी पेश नहीं किये हैं जिससे उनके कथन की ताईद होती हो। समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः साक्ष्य व दस्तावेज के अभाव में आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज को आवंटन होना सिद्ध नहीं होता है तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

#### तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक आवंटनशुदा सिद्ध नहीं होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंकिंग जमाबंदी में वंकिंग खसरा नम्बर 1002 रकबा 54-3-0 सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के आगे आवंटन दिनांक 22.11.75 राम सिंह पुत्र बालू सिंह 10-0-0 लाल स्याही से नोट लगा हुआ है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेख में कोई भी प्रविष्टि बिना नामान्तकरण के दर्ज नहीं की जाती है। वादीगण के पिता/पति को उक्त भूमि आवंटन हुयी थी तो उक्त आवंटन का इन्द्राज जरिये नामान्तकरण दर्ज करना था। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त नोट लगाने के कारण ही भू प्रबन्ध विभाग ने आराजी मुतनाजा को सही रूप से सिवायचक दर्ज किया है। हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा सिवायचक खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा सिद्ध करने हेतु भी वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नहीं होता है। तनकी संख्या 2 विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 1405 रकबा 3.03 की आराजी पर वादी का वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हीरी देवी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 20/2020

पेश करने की दिनांक - 12.02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक अभिषेक जैन मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम तिलाना के हालल खसरा नम्बर 1405 रकबा 3.03 की आराजी पर वादी का वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद